(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 03/2025–26
दिनांकः 02 अप्रैल, 2025

विषयः संबद्ध एफएसएसएआइ अधिसूचना के अनुरूप अनुसूची–I (आयात नीति) आईटीसी (एचएस), 2022 के परिशिष्ट–V की सूची "क" में खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदुओं के रूप में दर्राग के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों को शामिल करना।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुसूची–I (आयात नीति), आइटीसी (एचएस), 2022 के अंतर्गत आयात नीति के संबंध में सामान्य नोट्स को अधिसूचित करती हैः

मौजूदा प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
4(घ) खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदुः भारत में सुरक्षित खाद्य आयात के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआइ ने 161 खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदुओं [28 समुद्री पत्तनों, 16 हवाई पत्तनों, 32 भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) और 85 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आइसीडी) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइजेड) को कवर करते हुए] पर खाद्य आयात निकासी के संचालन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया है, जिसे एफएसएसएआइ की 9 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना (फा.सं. 1–1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017) के साथ पठित 12.11.2021 (फा.सं. 1–1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 11.06.2021 (फा.सं. 1–1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 31.01.2022 (1–1685/एफएसएसएआइ/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 28.03.2023 (फा.सं. 1–1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017/(भाग–I)) और अधिसूचना दिनांक 14.06.2023 (फा.सं. 1–1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017) की अधिसूचना के साथ आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I के परिशिष्ट–V में सूची क के अनुसार किया गया है। खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदु प्रतिबंध 1579 एचएस कोड के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए लागू होंगे, जैसा कि आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I के परिशिष्ट V की सूची ख में वर्णित है।	4(घ) खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदुः भारत में सुरक्षित खाद्य आयात के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआइ ने 162 खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदुओं [28 समुद्री बंदरगाहों, 16 हवाई पत्तनों, 33 भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) और 85 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आइसीडी) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइजेड) को कवर करते हुए] पर खाद्य आयात मंजूरी के संचालन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया है, जिसे एफएसएसएआइ की 9 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना (फा.सं. 1–1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017) के साथ पठित 12.11.2021 (फा.सं. 1–1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 11.06.2021 (फा.सं. 1–1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 31.01.2022 (1–1685/एफएसएसएआइ/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 28.03.2023 (फा.सं. 1–1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017/(भाग–I)), अधिसूचना दिनांक 14.06.2023 (फा.सं. 1–1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017) और अधिसूचना संख्या 03.09.2024 (फा.सं. 1–1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017/(भाग–I)) की अधिसूचना के साथ आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची– I के परिशिष्ट–V में सूची क के अनुसार किया गया है। खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदु प्रतिबंध 1579 एचएस कोड के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए लागू होंगे, जैसा कि आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I के परिशिष्ट V की सूची ख में वर्णित है।

2. अनुसूची–I (आयात नीति), आइटीसी (एचएस), 2022 के परिशिष्ट–V में सूची "क" को एलसीएस की सूची में नई प्रविष्टि सम्मिलित करके निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

क्रम सं.	पत्तन का नाम	पत्तन का कोड	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकृत अधिकारी
33.	एलसीएस दर्रांग	आइएनडीआरजीबी	असम	अधीक्षक / मूल्यांकक / निरीक्षक / परीक्षक

इस अधिसूचना का प्रभावः एलसीएस दर्रांग को अनुसूची–I (आयात नीति), आइटीसी (एचएस), 2022 के परिशिष्ट–V की सूची "क" में शामिल किया गया है और अनुसूची–I (आयात नीति), आईटीसी (एचएस), 2022 के तहत आयात नीति के संबंध में सामान्य नोट्स को संशोधित किया गया है, ताकि संबद्ध एफएसएसएआइ अधिसूचनाओं के साथ खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदुओं के संबंध में संबंधित विवरण का अद्यतन किया जा सके।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
2.4.2025
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा. सं. 01/89/180/27/एएम–12/पीसी–2(क)/ई–5955 से जारी)